यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ देशों को निर्यात किए जाने वाले मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के लिए अनिवार्य स्टफिंग/लोडिंग प्रमाणपत्र पर परामर्शिका नोट

एपीडा को विभिन्न देशों से निर्यात की जाने वाली मूंगफली (ग्राउंडनट), मूंगफली (पीनट), प्रसंस्कृत मूंगफली उत्पादों में एफ्लाटॉक्सिन के उच्च स्तर की अधिसूचना देने वाली त्वरित चेतावनियाँ और गैर-अनुपालन प्राप्त हुए हैं। जांच करने के पश्चात, यह अवलोकन किया गया है कि निर्यातक **"व्यापार सूचना सं. APEDA/PPP/Q/2021 दिनांक 05/07/2021 - मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए प्रक्रिया**" का उचित रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। उनमें से कई निर्यातक खेप (कंसाइन्मेंट) को एपीडा अनुमोदित प्रयोगशाला के पर्यवेक्षण में स्टफिंग या लोडिंग नहीं करवा रहे हैं।

सभी मूंगफली और मूंगफली उत्पाद निर्यातकों को सीओई जारी होने के पश्चात स्टफिंग/लोडिंग प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित है। निर्यातक एपीडा वेबसाइट पर उपलब्ध मूंगफली और मूंगफली उत्पाद प्रक्रियाओं का पालन करें। किसी भी स्तर पर उपर्युक्त अधिसूचना का उल्लंघन होने तथा एफ्लाटॉक्सिन के उच्च स्तर से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर , जैसा उचित समझा जाये निर्यातक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. तरुण बजाज
निदेशक-बीईडीएफ
29 अगस्त, 2024